

**:: औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाडा ::**

पीठासीन अधिकारी : पंकज बंसल, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या : 17 सन् 2017 आई.टी.आर

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नाथू लाल तिवारी, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
2. श्री भगवान सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह शक्तावत, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
3. श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री चांदमल शर्मा, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
4. श्री संजय गुर्जर पुत्र श्री बंशी लाल गुर्जर, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
5. श्री लाल सिंह पुत्र श्री भैरुसिंह राजपूत, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
6. श्री श्याम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
7. श्री जमना लाल गाडरी पुत्र श्री बालूराम गाडरी, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
8. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह राजपूत, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
9. श्री नन्दलाल गाडरी पुत्र श्री भैरा गाडरी, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
10. श्री कालूदास वैष्णव पुत्र श्री भगवानदास, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
11. श्री ताराचंद पुत्र रामलाल गुर्जर, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
12. श्री रामेश्वर लाल पुत्र नाना लाल गायरी, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
13. श्री सुनील शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा, द्वारा-अध्यक्ष,  
श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
तह0-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़।
14. श्री श्याम सुंदर दास पुत्र श्री बंशी दास वैष्णव, द्वारा-अध्यक्ष,

- श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
 तह0-भदेसर, जिला-चितौडगढ।
15. श्री राजू गुर्जर पुत्र उदा गुर्जर, द्वारा-अध्यक्ष,  
 श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
 तह0-भदेसर, जिला-चितौडगढ।
  16. श्री उमेश कुमार तिवारी उर्फ उमेश व्यास पुत्र बट्टी लाल शर्मा,  
 द्वारा-अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ,  
 इंटक, मंडफिया, तह0-भदेसर, जिला-चितौडगढ।
  17. श्री नवीन शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा, द्वारा-अध्यक्ष,  
 श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
 तह0-भदेसर, जिला-चितौडगढ।
  18. श्री भारत सिंह पुत्र श्री मदन सिंह राजपूत, द्वारा-अध्यक्ष,  
 श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
 तह0-भदेसर, जिला-चितौडगढ।
  19. श्री मुकेश कुमार सेन पुत्र नारायण लाल नाई, द्वारा-अध्यक्ष,  
 श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया,  
 तह0-भदेसर, जिला-चितौडगढ।

..प्रार्थीगण

: बनाम :

1. श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड मण्डफिया जरिये  
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल,  
 मंडफिया, तह0-भदेसर, जिला-चितौडगढ।
2. हयूमन रिसोर्स एसोसिएट्स जरिये दीपसिंह राणावत  
 ए-265, हिरण मगरी सेक्टर नं. 15 उदयपुर ..विपक्षीगण

उपस्थित :

1. श्रीमती वंदना चोखडा, अधिवक्ता-प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शंकरपुरी गोस्वामी, श्री लोकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता-विपक्षी सं0 एक की ओर से।
3. विपक्षी सं0 2 व 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही।

:: पंचाट ::

दिनांक : 18.06.2026

प्रार्थीगण की ओर से अपने औद्योगिक विवाद निस्तारण हेतु समझौता अधिकारी, चितौडगढ के समक्ष पेश किये गये, जहां समझौता नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या: एफ.1(1)(66)/श्र.नि./2017 दिनांक 08.08.2017 के द्वारा अग्रलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया:-

‘क्या श्रमिक श्री अशोक कुमार तिवारी पुत्र श्री नाथू लाल तिवारी एवं 18 अन्य श्रमिकगण जिनकी सूची संलग्न है एवं (जिनका विवाद अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0-भदेसर, जिला चितौडगढ द्वारा उठाया गया है) को विपक्षी नियोजक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल, मंडफिया, तह0-भदेसर, जिला-चितौडगढ द्वारा स्थाई घोषित कर वेतन परिलाभ नहीं दिया जाना उचित एवं वैद्य है ? यदि नहीं, तो श्रमिकगण किस राहत को पाने का हकदार हैं?

उपरोक्तानुसार विवाद के साथ निम्न सूची प्राप्त हुई:-

| क्र.सं. | प्रार्थी का नाम                                        | नियुक्ति तिथि | पद                  |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1       | अशोक कुमार तिवारी पिता नाथू लाल तिवारी,                | 19.04.2005    | लिपिक               |
| 2       | भगवान सिंह पिता सज्जन सिंह शक्तावत                     | 22.09.2007    | लिपिक               |
| 3       | सुनील कुमार शर्मा पिता चांदमल शर्मा                    | 07.05.2013    | सहायक कर्मी         |
| 4       | संजय गुर्जर पिता बंशी लाल गुर्जर                       | 22.07.2012    | सहायक कर्मी         |
| 5       | लाल सिंह पिता भैरुसिंह राजपूत,                         | 01.06.1993    | इलेक्ट्रीशियन       |
| 6       | श्याम सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत                    | 04.05.1995    | सहायक कर्मी         |
| 7       | जमना लाल गाडरी पिता बालूराम गाडरी                      | 26.03.2003    | गार्ड               |
| 8       | जितेन्द्र सिंह पिता रतन सिंह राजपूत                    | 26.07.2008    | गार्ड               |
| 9       | नन्द लाल गाडरी पिता भैरा गाडरी                         | 02.01.2001    | सहायक इलेक्ट्रीशियन |
| 10      | कालूदास वैष्णव पिता भगवानदास                           | 05.05.2006    | सहायक कर्मी         |
| 11      | ताराचंद पिता रामलाल गुर्जर                             | 13.09.2006    | सहायक कर्मी         |
| 12      | रामेश्वर लाल पिता नाना लाल गायरी                       | 01.07.2008    | सहायक कर्मी         |
| 13      | सुनील शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा                         | 01.11.2007    | सहायक कर्मी         |
| 14      | श्याम सुन्द दास पिता बंशी दास वैष्णव,                  | 21.07.2005    | सहायक कर्मी         |
| 15      | राजू गुर्जर पिता उदा गुर्जर                            | 07.08.2008    | सहायक कर्मी         |
| 16      | उमेश कुमार तिवारी उर्फ उमेश व्यास पिता बद्री लाल शर्मा | 05.06.2008    | सहायक कर्मी         |
| 17      | नवीन शर्मा पिता श्याम लाल शर्मा                        | 04.07.2009    | लिपिक               |
| 18      | भारत सिंह पिता मदन सिंह राजपूत                         | 15.04.2010    | सहायक कर्मी         |

|    |                                     |            |             |
|----|-------------------------------------|------------|-------------|
| 19 | मुकेश कुमार सेन पिता नारायण लाल नाई | 25.01.2011 | सहायक कर्मी |
|----|-------------------------------------|------------|-------------|

उपरोक्तानुसार विवाद प्राप्त होने पर पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से पृथक-पृथक क्लेम प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि वे विपक्षीगण के यहां नियमित नियोजन में कार्यरत रहे हैं तथा उन्हें विपक्षीगण द्वारा गलत रूप से संविदा श्रमिक बताया गया। उन्होंने प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 240 दिनों से अधिक अवधि तक कार्य किया है। प्रार्थीगण ने नियुक्ति तिथि से उनके द्वारा चाहे गये पद का वेतनमान व अन्य लाभ-परिलाभ दिलाने की प्रार्थना की।

विपक्षीगण की ओर से क्लेम प्रार्थनापत्र का जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि प्रार्थीगण को उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया गया तथा वे उनके कार्मिक नहीं हैं। प्रार्थीगण ने किसी सेवा संविदा के माफत कोई कार्य किया है और कोई राशि बकाया है तो वह सेवाप्रदाता ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकता है। प्रार्थीगण ने नियुक्ति का प्रमाण पेश नहीं किया है। अतः वह उत्तरदाता के विरुद्ध वाद पेश नहीं कर सकते हैं। प्रार्थी द्वारा कार्य दिवसों का विवरण भी पेश नहीं किया गया है। क्लेम प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में ए.ड. 1 भारत सिंह, ए.ड.2 जमनालाल गाडरी, ए.ड. 3 भगवानसिंह, ए.ड. 4 जितेन्द्रसिंह, ए.ड. 5 नन्दलाल गाडरी, ए.ड. 6 सुनील शर्मा, ए.ड. 7 अशोक कुमार तिवारी, ए.ड. 8 सुनिल शर्मा पुत्र चांदमल, ए.ड. 9 श्यामसुंदर वैष्णव, ए.ड. 10 उमेश व्यास, ए.ड. 11 राजकुमार उर्फ राजु, ए.ड. 12 मुकेश कुमार सेन, ए.ड. 13 ताराचंद, ए.ड.14 संजय गुर्जर के शपथ पत्र पर बयान दर्ज करवाये गये।

विपक्षीगण की ओर से साक्ष्य में एन.ए.ड. 1 शिव शंकर पारीक के शपथपत्र पर बयान दर्ज करवाये गये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। विपक्षीगण ने लिखित बहस भी पेश की।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 के यहां 10 वर्ष से भी अधिक समय से लगातार कार्य कर रहे हैं एवं स्वयं विपक्षी संख्या 01 के गवाह श्री शिव शंकर पारीक ने भी अपने बयानों में प्रार्थीगण का 10 वर्ष से अधिक समय से मंदिर मंडल में कार्य करना स्वीकार किया है। उनका यह भी तर्क है कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण का ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्य करना बताते हुए श्रमिक नियोजक का संबंध होने से इंकार किया है परंतु इस संबंध में ऐसी कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह जाहिर हो कि मंदिर मंडल द्वारा कोई निविदा जारी कर ऐजेन्सी के माध्यम से प्रार्थीगण की सेवाएं ली गई हों या किसी ऐजेन्सी को इस संबंध में कोई कार्यादेश जारी किया गया हो जिस कारण साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थीगण ऐजेन्सी द्वारा संविदा

पर कार्यरत है। उनका यह भी तर्क है कि विपक्षी संख्या 01 मंदिर मंडल ने प्रार्थीगण का वेतन भी एजेन्सी के माध्यम से करना कहा है परंतु इस संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि मंदिर मंडल द्वारा प्रतिमाह प्रार्थीगण का वेतन एजेन्सी को ट्रांसफर किया जाता हो एवं एजेन्सी द्वारा प्रार्थीगण के खाते में डाला जाता हो जिस कारण विपक्षी संख्या 01 के कथन साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं होने से मानने योग्य नहीं है जबकि प्रार्थीगण ने मंदिर मंडल के कार्यालय आदेशों की प्रतियां पेश की हैं जिनमें प्रार्थीगण की ड्यूटी मंदिर मंडल द्वारा स्वयं लगाई गई है जिससे प्रार्थीगण का मंदिर मंडल के सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करना प्रमाणित होता है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण ने 240 दिन से अधिक समय तक एक कैलेंडर वर्ष में कार्य करना प्रमाणित किया है जबकि इसके खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिस कारण प्रार्थीगण नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उन्होंने क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को नियमित वेतन श्रृंखला दिलाये जाने की प्रार्थना की एवं अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत एवं विधि पेश की—

01. श्री सांवलिया जी मंदिर अधिनियम-1992
02. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर-11417/2025 चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सांवलिया जी मंदिर बनाम चतर सिंह व अन्य आदेश दिनांक 14.07.2025
03. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर-4655/2005 श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बनाम श्याम सिंह व अन्य आदेश दिनांक 02.09.2005
04. एसएलपी(सी) संख्या 5580/2024-जगगो बनाम भारत संघ, 2024 INSC 1034

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 ने इन तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण कभी भी मंदिर मंडल के नियमित नियुक्त कर्मचारी नहीं रहे हैं तथा न ही उनकी नियुक्ति किसी वैधानिक प्रक्रिया अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है, मंदिर मंडल में सेवा नियुक्ति के लिये नियमित प्रक्रिया निर्धारित है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण की सेवाएं मंदिर मंडल द्वारा सीधे नहीं ली जाकर आपूर्ति एजेन्सी के माध्यम से ली जाती है जिस कारण प्रार्थीगण का सेवा संबंध विपक्षी संख्या 01 के साथ न होकर आपूर्ति एजेन्सी के साथ है एवं जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त न

किया गया हो और उसके नियुक्ति पत्र, सेवाभिलेख, वेतन भुगतान के प्रमाण मंदिर मंडल से संबंधित नहीं हो तब तक उसे नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता है एवं प्रार्थीगण ने मंदिर मंडल की ओर से जारी नियुक्ति पत्र या मंदिर मंडल द्वारा सीधे ही उनके वेतन भुगतान के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है एवं संविदा या दैनिक वेतन पर कार्यरत व्यक्ति को नियमित नियुक्ति का अधिकार तभी है जब उसकी नियुक्ति विधिवत चयन प्रक्रिया से की गई हो और पद स्वीकृत एवं रिक्त हो परंतु ऐसी कोई साक्ष्य प्रार्थीगण ने पेश नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि मंदिर मंडल किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने व नियमित करने का अधिकार नहीं रखता है बल्कि इसके लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने क्लेम प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत विधि व न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

हमारे सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा नियमित नहीं किया जाना एवं देय हितलाभ नहीं दिया जाना उचित व वैध है?

उपरोक्त विचारणीय बिन्दु का निस्तारण करने से पूर्व सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य श्रमिक-नियोजक के संबंध हैं तथा क्या प्रार्थी ने उनके अधीन 240 दिवसों से अधिक दिवसों तक कार्य किया है?

जहां तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य श्रमिकगण व नियोजकगण के संबंध का प्रश्न है, इस संबंध में अपने अभिवचनों में प्रार्थीगण ने उल्लेख किया है कि वे अपनी नियुक्ति से ही विपक्षीगण के अधीन निरंतर व नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। अपने अभिवचनों में उन्होंने यह भी बताया है कि उनके कार्यों का नियंत्रण पूर्ण रूप से विपक्षीगण का ही रहा है तथा उनके आदेशानुसार ही उन्होंने कार्य किया है। प्रार्थीगण के उक्त अभिवचनों के खंडन में विपक्षीगण ने यह कहा है कि प्रार्थीगण को उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया गया तथा वे उनके कार्मिक नहीं हैं, प्रार्थीगण ने सेवा संविदा के मार्फत कार्य किया है और कोई राशि बकाया है तो वह सेवाप्रदाता एजेन्सी से प्राप्त कर सकता है, प्रार्थीगण ने नियुक्ति का प्रमाण पेश नहीं किया है, प्रार्थी द्वारा कार्य दिवसों का विवरण भी पेश नहीं किया गया है, अतः वह उत्तरदाता के विरुद्ध वाद पेश नहीं कर सकते हैं।

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण अशोक कुमार, भगवान सिंह एवं नवीन शर्मा का श्री सांवलिया जी मंदिर मण्डल, मण्डफिया में लिपिक के रूप में कार्यरत होना, प्रार्थीगण सुनील कुमार शर्मा, संजय गुर्जर, श्याम सिंह, कालूदास, ताराचन्द, रामेश्वर लाल, सुनील शर्मा, श्यामसुंदर दास, राजू गुर्जर, उमेश कुमार तिवारी उर्फ उमेश व्यास, भारत सिंह एवं मुकेश कुमार सेन का सहायक कर्मि के रूप में कार्यरत होना एवं प्रार्थी

लाल सिंह का इलेक्ट्रीशियन एवं नन्द लाल गाडरी का सहायक इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्य करना और प्रार्थी जमना लाल गाडरी एवं जितेन्द्र सिंह का गार्ड के रूप में मंदिर में कार्य करना बताया गया है जिसके संबंध में स्वयं विपक्षी गवाह एन ए डब्ल्यू 01 शिव शंकर पारीक द्वारा प्रार्थीगण के उक्त पदों पर कार्य करने से इनकार नहीं किया गया है अपितु यह कहा गया है कि प्रार्थीगण सेवाप्रदाता कम्पनी विपक्षी संख्या 02 हयूमन रिसोर्स एसोसिएट्स के कार्मिक हैं और संविदा के तौर पर सेवा प्रदाता कम्पनी टाईगर 4 इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के मार्फत सांवलिया जी मंदिर मंडल में संविदा के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उक्त विपक्षी गवाह शिव शंकर पारीक ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी मंदिर मंडल के अंदर काम करता है और यह कहना सही है कि प्रार्थी पिछले 10 वर्ष से मंदिर मंडल में कार्य कर रहा है। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि संविदा कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने बाबत आदेश मंदिर मंडल द्वारा ही जारी किये जाते हैं। उक्त गवाह ने प्रार्थी का मंदिर मंडल में लम्बे समय से कार्यरत होना जिसकी जानकारी उसे होना कहा है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि प्रार्थीगण संवेदक के मार्फत कार्यरत है। उक्त गवाह ने मंदिर मंडल में 400 के करीब पद होना जिन पर संवेदक के मार्फत श्रमिक कार्यरत होना कहा है।

प्रार्थीगण ने साक्ष्यस्वरूप बतौर गवाह ए डब्ल्यू-01 लगायत ए डब्ल्यू-14 प्रस्तुत अपने शपथपत्रों में क्लेम प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कहा है कि वह विपक्षीगण के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में अपनी अपनी नियुक्ति दिनांक से अब तक कार्य का निष्पादन करते चले आ रहे हैं। जिरह में प्रार्थीगण ने बतौर गवाह ए डब्ल्यू-01 लगायत ए डब्ल्यू-14 यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा नियुक्ति का कोई लिखित आदेश पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने यह भी स्वीकार किया है कि जो दस्तावेज उनकी ओर से पेश हुए हैं उनमें एजेंसी के माध्यम से कार्यरत होना लिखा हुआ है। यद्यपि उक्त गवाहान ने अपनी जिरह में वेतन एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होने से इंकार किया है अपितु मंदिर मंडल द्वारा ही वेतन दिया जाना कहा है परंतु प्रार्थी राजकुमार उर्फ राजू ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मैंने मेरे व मंदिर मंडल के बीच नियोक्ता एवं नियोजक के संबंध होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मेरे खाते में वेतन विपक्षी संख्या 02 डालता है जो विपक्षी संख्या 02 हयूमन रिसोर्स एसोसिएट है अर्थात् उक्त प्रार्थी गवाह राजू उर्फ राजकुमार ने वेतन का भुगतान विपक्षी संख्या 02 द्वारा करना कहा है परंतु इस संबंध में अन्य किसी गवाह ने ऐसे कोई कथन नहीं कहे हैं वल्कि वेतन एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होने से इंकार किया है। इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 13ए, 21ए, 56ए, 81ए बैंक पासबुक्स की प्रतियां हैं जिनमें भी सिर्फ वेतन जमा होना अंकित है, वेतन हयूमन रिसोर्स एसोसिएट ने जमा करवाया हो, ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है। इस संबंध में विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करें तो इस संबंध में विपक्षीगण के गवाह एन. ए. ड. 1 शिव शंकर पारीक ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रार्थीगण को किये जा रहे वेतन भुगतान के संबंध में व उसके सेवा प्रदाता एजेंसी के अधीन कार्यरत होने के संबंध में लेशमात्र भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह जाहिर हो कि मंदिर मंडल द्वारा प्रार्थीगण के वेतन का भुगतान विपक्षी संख्या-02 हयूमन रिसोर्स एसोसिएट को किया जाता हो अपितु स्वयं विपक्षी गवाह एन ए ड 1 ने अपनी जिरह में प्रार्थीगण द्वारा उनके यहां 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य

करना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, यद्यपि उक्त गवाह ने यह भी कहा है कि प्रार्थीगण संवेदक के मार्फत कार्यरत है लेकिन प्रार्थीगण को संविदा पर नियोजित करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रार्थीगण की ओर से कार्यालय श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल के कार्यालय आदेश प्रदर्श-01 लगायत प्रदर्श-12 एवं प्रदर्श-14 लगायत 20, प्रदर्श-27 लगायत प्रदर्श-51, प्रदर्श-52 लगायत प्रदर्श-55, प्रदर्श-57 लगायत प्रदर्श-63 प्रदर्श-66 लगायत प्रदर्श-80, प्रदर्श-82 लगायत प्रदर्श-92, प्रदर्श-95 लगायत प्रदर्श-126, प्रदर्श-127 लगायत प्रदर्श-128, प्रदर्श-129 लगायत प्रदर्श-135 पेश किये गये हैं, जिन दस्तावेजात में मंदिर मंडल के ओर से कार्यालय आदेश द्वारा प्रार्थीगण की ड्यूटी विभिन्न कार्यो हेतु लगाया जाना जाहिर होता है जिसके संबंध में स्वयं विपक्षी गवाह एन ए डब्ल्यू 01 श्री शिव शंकर पारीक ने भी यह स्वीकार किया है कि मंदिर मंडल की कार्य व्यवस्था हेतु श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है एवं इसके खंडन में कोई साक्ष्य विपक्षीगण की ओर से पेश नहीं की गयी है।

इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने आपको उपरोक्त वर्णित दिनांको से विपक्षीगण के यहां नियोजित होना कहा गया है, जिस तथ्य को स्वयं विपक्षी गवाह एन ए ड 1 शिव शंकर पारीक ने भी इंकार नहीं किया है, लेकिन उसका मात्र इतना ही कहना है कि प्रार्थी संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाया गया श्रमिक है, लेकिन विपक्षीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे प्रार्थीगण के किसी सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत होना प्रकट होता हों जबकि उक्त तथ्य को साबित करने का भार विपक्षीगण पर था। प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि उसके द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात, जो कि स्वयं विपक्षीगण के कार्यालय द्वारा जारी दस्तावेज/ आदेश हैं, से भी होती है, जिनके माध्यम से प्रार्थीगण की विभिन्न स्थानों पर विपक्षीगण के कार्यालय द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। उक्त दस्तावेजों के संबंध में विपक्षीगण की ओर से प्रार्थी से कोई जिरह भी नहीं की गई है, जिससे उक्त दस्तावेजात की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह करने का कोई कारण मेरे समक्ष नहीं है। विपक्षीगण की ओर से जिरह के दौरान प्रार्थी को ऐसा कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है कि उनके द्वारा किये जा रहे कार्य पर विपक्षीगण का नियंत्रण व पर्यवेक्षण नहीं हो, जबकि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थी का विपक्षीगण के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य करना पूरी तरह से साबित है।

वकील विपक्षीगण ने बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात की ओर आकृष्ट करते हुए यह तर्क दिया है कि उक्त दस्तावेजात में प्रार्थीगण को संविदाकर्मी बताया गया है एवं प्रार्थीगण उनके श्रमिक नहीं होकर सेवाप्रदाता एजेन्सी के श्रमिक हैं तथा विपक्षी सं0 एक के गवाह एन ए ड 1 शिव शंकर पारीक ने अपने मुख्य परीक्षण स्वरूप शपथपत्र में प्रार्थीगण के यूनिकान ह्यूमन पावर लि., के श्रमिक होने का अंकन तो किया है, लेकिन इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उनके द्वारा पेश नहीं की गई है और न किसी एजेन्सी को श्रमिक उपलब्ध करवाने के संबंध में दिये गये कार्यादेश की प्रति ही पेश की गई है। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में विपक्षीगण के द्वारा अपने जवाब व अपने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र में प्रार्थीगण का संविदा श्रमिक होने का अंकन कर देना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के द्वारा किसी सेवाप्रदाता एजेन्सी को श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित करना और उसके द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध

करवाना साबित नहीं पाया जाता है। मेरे विनम्र मत में विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत गवाहान द्वारा मात्र अपने शपथपत्र में यह कह देने से कि वह विपक्षी का श्रमिक नहीं होकर किसी सेवाप्रदाता एजेन्सी का श्रमिक है, को सत्य एवं विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है जब तक कि विपक्षी द्वारा इस संबंध में साक्ष्य पेश नहीं की जाती है कि प्रार्थीगण को सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा मंदिर मंडल को उपलब्ध कराया गया था एवं कार्यादेश जारी किया गया था परंतु ऐसा कोई दस्तावेज विपक्षीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के मुकाबले में विश्वसनीय नहीं पाई जाती है। अतः साक्ष्य के दौरान प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह इंगित होता है कि प्रार्थीगण पर विपक्षीगण का सीधा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण था। इन दस्तावेजात में प्रार्थीगण का नाम अंकित है तथा विपक्षी के द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के द्वारा प्रार्थीगण की विभिन्न कार्यों हेतु ड्यूटी लगाई गई है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य श्रमिक- नियोजक का संबंध है।

अब हमें यह देखना है कि क्या प्रार्थीगण 240 दिवसों से अधिक दिवसों तक विपक्षीगण के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे हैं ?

इस संबंध में प्रार्थीगण ने बताया है कि वे अपनी अपनी नियुक्ति दिनांको से नियमित रूप से विपक्षीगण के यहां कार्यरत हैं तथा उसने साक्ष्य के दौरान अलग-अलग समय के ड्यूटी लगाने के संबंध में विपक्षी द्वारा जारी दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, जिनसे भी प्रार्थी की ड्यूटी व उसकी उपस्थिति जाहिर होती है। प्रार्थी अशोक कुमार तिवारी ने दिनांक 19.04.2005 से, प्रार्थी भगवान सिंह ने दिनांक 22.09.2007 से, प्रार्थी सुनील कुमार शर्मा ने दिनांक 07.05.2013 से, संजय गुर्जर ने दिनांक 22.07.2012 से, प्रार्थी लाल सिंह ने 01.06.1993 से, श्याम सिंह ने 04.05.1995 से, जमना लाल गाडरी ने दिनांक 26.03.2003 से, जितेन्द्र सिंह ने दिनांक 26.07.2008 से, नन्द लाल गाडरी ने 02.01.2001 से, कालूदास वैष्णव ने दिनांक 05.05.2006 से, ताराचंद ने दिनांक 13.09.2006 से, रामेश्वर लाल ने 01.07.2008 से, सुनील शर्मा ने 01.11.2007 से, श्याम सुंदर दास ने 21.07.2005 से, राजू उर्फ राजकुमार गुर्जर ने 07.08.2008 से, उमेश कुमार तिवारी उर्फ उमेश व्यास ने 05.06.2008 से, नवीन शर्मा ने 04.07.2009 से, भारत सिंह ने 15.04.2010 से, मुकेश कुमार सेन ने 25.01.2011 से विपक्षी मंदिर मंडल के यहां नियुक्त होना एवं कार्य करना अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में कहा है, जिस तथ्य से विपक्षी मंदिर मंडल द्वारा भी स्पष्ट रूप से इंकार नहीं किया गया है एवं स्वयं विपक्षी गवाह एन ए डब्ल्यू 01 शिव शंकर पारीक ने सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा प्रार्थीगण को नियुक्ति देने से इंकार करते हुए ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएट एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्य करना तो कहा है परंतु इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि प्रार्थीगण अपने क्लेम प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित दिनांक से मंदिर मंडल में कार्य नहीं कर रहे हों अपितु अपनी जिरह में भी यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी पिछले 10 वर्ष से मंदिर मंडल में कार्य कर रहा है। विपक्षीगण की ओर से इस संबंध में प्रार्थीगण से कोई जिरह भी नहीं की गई है और न जिरह के दौरान विपक्षी की ओर से प्रार्थीगण को ऐसा कोई सुझाव ही दिया गया कि उसने उक्त तिथि से विपक्षी सं० एक के यहां कार्य करना प्रारंभ नहीं किया। स्वयं विपक्षी गवाह ने प्रार्थीगण का विपक्षीगण के यहां लम्बे समय से कार्यरत होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य अखंडित रही है तथा उस पर अविश्वास करने का कोई कारण मेरे समक्ष नहीं

है। उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपनी अपनी नियुक्ति दिनांक से नियमित रूप से विपक्षीगण के यहां कार्य कर रहे हैं तथा उन्होंने विपक्षीगण के अधीन प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवसों से अधिक दिवसों तक कार्य किया है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने विपक्षी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त श्री सांवलिया जी मंदिर अधिनियम 1992, की प्रति पेश की है जिसके भाग-4-भर्ती हेतु प्रक्रिया के नियम 12 में बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे कार्यरत कर्मचारियों, जिन्होंने 240 दिन तक लगातार सेवा पूरी कर ली हो और जिनका पिछला सेवा रिकार्ड संतोषप्रद हो एवं वे अन्यथा नियुक्ति के पात्र हो, की नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति कर सकता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 का दोराने बहस यह तर्क रहा है कि मंदिर मंडल में पद रिक्त नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को नियमित किया जाना संभव नहीं है परंतु इस संबंध में यह स्पष्ट है कि स्वयं विपक्षी गवाह एन. ए. डब्ल्यू-01 शिव शंकर पारीक ने मंदिर मंडल में 400 के करीब पद होना, जिन पर संवेदक के मार्फत श्रमिक कार्यरत होना कहा है परंतु इस बारे में कोई कथन नहीं कहे हैं कि उक्त 400 पद किस किस पदनाम से है ना ही यह कहा है कि उक्त पदों में कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने पद रिक्त हैं। यहां तक कि इस बाबत भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि विपक्षी मंदिर मंडल में जिन पदों पर प्रार्थीगण कार्य कर रहे हैं, वह पद सम्पूर्ण रूप से भरे हुए हो और कोई पद रिक्त न हो। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में विपक्षी संख्या 01 का उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है कि मंदिर मंडल में प्रार्थीगण के पदनाम के पद खाली न हो। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया है कि प्रार्थीगण 240 दिन से अधिक लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं एवं उनका पिछला सेवा रिकार्ड संतोषप्रद न हो ऐसी कोई साक्ष्य विपक्षीगण की ओर से न तो पेश की गई है न ही अभिवचन कहे गये हैं तो ऐसी स्थिति में बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों को उपरोक्त वर्णित नियम अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति का अधिकार है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी प्रकार के मामले चतर सिंह टेलर बनाम मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल में भी विपक्षीगण द्वारा संबंधित प्रार्थी के संविदा पर ऐजेन्सी के जरिये मंदिर मंडल में कार्यरत होने बाबत आपत्ति ली गई थी परंतु इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर इस न्यायाधिकरण के आदेश व पंचाट तारीख 11.11.2024 द्वारा रेफरेन्स प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया गया था जिसके विरुद्ध विपक्षी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन पेश की गई जिस एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर-11417/2025 चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड, मण्डफिया बनाम चतर सिंह टेलर व अन्य में अपने आदेश दिनांक 14.07.2025 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विपक्षी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड की रिट याचिका खारिज करते हुए यह कहा है कि :-

A perusal of the findings recorded by the learned Labour Court clearly shows that the respondent No.1 has worked in the petitioner-Temple since 01.10.1996 without any break on regular basis and, therefore, there was employer-employee relationship between the petitioner-

Temple and the respondent No.1. Since the learned Labour Court, on the basis of the evidence adduced before it, has clearly come to the conclusion that for the perennial nature of work, which is available in the petitioner-Temple, the respondent No.1 has served the petitioner-Temple since 01.10.1996, therefore, no infirmity has been committed by the learned Labour Court while allowing the claim petition of the respondent No.1.

अर्थात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नें समान मामले में इस न्यायाधिकरण के पंचाट को पुष्ट करते हुए प्रार्थी व मंदिर मंडल के मध्य नियोजक व नियोक्ता के संबंध मानते हुए इस न्यायालय के पंचाट को सही माना जिस मामले में भी ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएटस भी पक्षकार थी एवं उक्त प्रकरण के तथ्य भी समान है। अतः उपरोक्त विवेचन को देखते हुए प्रार्थीगण यह साबित करने में सफल रहे हैं कि उसके व विपक्षीगण के मध्य श्रमिक—नियोजक के संबंध हैं तथा वे अपनी अपनी नियुक्ति दिनांको से लगातार विपक्षीगण के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे हैं। अतः प्रार्थीगण वांछित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रेषित विवाद का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि—

श्रमिक श्री अशोक कुमार तिवारी पुत्र श्री नाथू लाल तिवारी एवं 18 अन्य श्रमिकगण जिनकी सूची संलग्न है एवं (जिनका विवाद अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक, मंडफिया, तह0—भदेसर, जिला चित्तौडगढ़ द्वारा उठाया गया है) को उनकी नियुक्ति दिनांक से विपक्षी नियोजक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल, मंडफिया, तह0—भदेसर, जिला—चित्तौडगढ़ द्वारा नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दिया जाना उचित एवं वैध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी—अपनी नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रार्थी को पंचाट प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह के भीतर तदनुसार लाभ प्रदान किया जायें।

पंचाट की प्रति राज्य सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

(पंकज बंसल)

न्यायाधीश,

औद्योगिक न्यायाधिकरण

एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।

पंचाट आज दिनांक 18.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज बंसल)

न्यायाधीश,

औद्योगिक न्यायाधिकरण

एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।